राजस्थान सरकार
निदेशालय कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

कमांक : एफ23(45)लेखा/निकाशि/मुछाउशियो/12/2242 दिनांक 2-1-2013 3

समस्त नोडल अधिकारी
राजकीय महाविद्यालय
राजस्थान

परिपत्र

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना 2012 में सीनियर सैकण्डरी में उत्तीर्ण एक लाख विद्यार्थियों को छात्रवृति स्वीकृति हेतु माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार द्वारा बजट में घोषणा की गई है । निदेशालय द्वारा समय समय पर विभिन्न माध्यमो (ई-टीवी राजस्थान, वेब पत्र पत्रिका) से प्रचार प्रसार करने के उपरान्त भी अपेक्षित संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुए है ।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर द्वारा उपलब्ध सूचना अनुसार विज्ञान वर्ग में 305 प्राप्तांक **(61 प्रतिशत)**, वाणिज्य वर्ग में प्राप्तांक 316 **(63.20 प्रतिशत)** एवं कला वर्ग में प्राप्तांक 317 **(63.40 प्रतिशत)** को उक्त छात्रवृत्ति देय है ।

योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के दौरान यदि विद्यार्थी द्वारा अज्ञानतावश आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र या अन्य कोई प्रमाण पत्र को सत्यापित नहीं कराया हो अथवा विद्यार्थी द्वारा भूलवश आवेदन पत्र में कोई अन्य त्रुटि कर दी गई हो तो संबंधित अध्ययनरत् महाविद्यालय के माध्यम से ऐसी त्रुटियों की पूर्ति कराया जाना सुनिश्चित करें तथा ऐसे आवेदन पत्रों को अपूर्ण मानते हुए पूर्ण कराये जावें ना कि इनको अपात्र की श्रेणी में रखा जावें ।

योजना में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों के माता-पिता /अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख कर दी गई है तथा आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि 28-2-2013 तक बढा दी गई है ।

योजना में अधिक से अधिक आवेदन कराने हेतु आप जिला कलेक्टर महोदय से सम्पर्क कर आपके जिले में संचालित राजकीय/निजी /तकनिकी महाविद्यालयों के प्राचार्यो की बैठक का आयोजन करा कर उपरोक्त कटऑफ में आने वाले विद्यार्थियो से आवेदन कराने की व्यवस्था करावें एवं आपने स्तर पर प्रचार प्रसार करें जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थियों को योजना का लाभ मिल सकें ।

कृपया इसे प्राथमिकता दें ।

03/1/13

(आर. एस. मक्कड)
अतिरिक्त निदेशक

प्रतिलिपि श्री धीरेन्द्र देवर्षि, विभागीय वेबसाईट प्रभारी को अपलोड हेतु ।